न्यायालय :: अमन सिंह भूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.)

:: संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश ::

कमांक/ /स्टेनो/2025 **बड़वानी, दिनांक 12..04.2025**

मैं अमन सिंह भूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी, जिला बड़वानी मध्य प्रदेश आपराधिक कार्य विभाजन आदेश कमांक/11/स्टेनो/2025, बड़वानी दिनांक 11.01.2025 में आंशिक संशोधन करते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–12(2), 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रावधान के तहत् जिला एवं तहसील न्यायालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आपराधिक कार्य का विभाजन निम्नानुसार आबंटन करता हूँ। उक्त आदेश दिनांक **12...अप्रैल, 2025** से अन्य आदेश होने तक निरन्तर प्रभावशील रहेगा :–

क्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	सौंपा गया आपराधिक कार्य
01	02	03	04
01.	**अमन सिंह भूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी, जिला बड़वानी(म.प्र.)**	1. सम्पूर्ण राजस्व जिला	1. बड़वानी जिले के सभी क्षमा प्राप्त अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। 2. काइम ब्रांच, सी.आई.डी., सायबर ब्रांच एवं अन्य समस्त जांच एजेन्सियां, जिनका इस आदेश में उल्लेख नहीं है, के द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रतिवेदन (चालान, खारजी, खात्मा) । 3. स्मगलिंग एक्ट के प्रकरण। 4. बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 5. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रकरण । 6. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, नाप–तौल अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण । 7. जिले के समस्त थानों से संबंधित ई.आर. (खारिजी) 8. अन्य सभी आपराधिक प्रकरण, जिनका वर्णन इस पत्रक में न हो।
		2. आबकारी वृत्त बड़वानी	समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3. आरक्षी केंद्र बड़वानी व यातायात पुलिस थाना बड़वानी	1. आरक्षी केन्द्र बड़वानी से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र बड़वानी के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उत्पन्न होने वाले धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद

			व अन्य निजी परिवाद पत्र। 3. यातायात थाना बड़वानी व पाटी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत आपराधिक प्रकरण।
		4.आर.टी.ओ, बड़वानी	बड़वानी राजस्व जिले से संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, बड़वानी की ओर से प्रस्तुत समस्त इस्तगासा प्रकरण।
		5. कृषि उपज मण्डी, बड़वानी	कृषि उपज मण्डी, बड़वानी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत कृषि उपज मण्डी अधिनियम के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
		6. नगर पालिका परिषद् बड़वानी	नगर पालिका परिषद, बड़वानी से उद्भूत होने वाले समस्त नगर पालिका अधिनियम के इस्तगासा प्रकरण।
		7. वन, खान, खनिज अधिनियम	आरक्षी केन्द्र बडवानी एवं सिलावद क्षेत्र के वन, खान एवं खनिज अधिनियम से उत्पन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
02.	**श्री एम.एस.रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र पाटी	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र पाटी से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, निजी परिवाद पत्र, आरक्षी केन्द्र पाटी खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी या अन्य विशेष न्यायालय का है) एवं मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण। 2. विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे सबंधित कार्यवाही। 3. उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से सबंधित प्रकरण। 4. उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 5. आरक्षी केन्द्र, पाटी, बड़वानी, सिलावद से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 52–क स्वापक औषधि अधिनियम 1985 का निराकरण। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा समय–समय पर स्थानांतरित प्रकरण।
03.	**सुश्री राजश्री भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वानी (म.प्र.)**	महिला थाना बडवानी	1. महिला थाना एवं आरक्षी केन्द्र बडवानी, पाटी, सिलावद के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. महिला थाना एवं बड़वानी के अंतर्गत समस्त

			थानों से उदभुत होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं से संबंधित प्रकरण एवं निजी परिवाद। 3. (नगर पालिका क्षेत्र बडवानी एवं जिला मुख्यालय तहसील बड़वानी की सीमाओं के अंतर्गत उद्भूत होने वाले धारा 144, 145, 146 भा.ना.सु.सं. 2023 के समस्त प्रकरण/कुटुम्ब न्यायालय बडवानी के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोडकर) आरक्षी केन्द्र बडवानी, सिलावद व पाटी के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा 144, 145, 146 भा.ना.सु.सं. 2023 के समस्त प्रकरण।
04.	**श्री पुष्पेन्द्र भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र सिलावद	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र सिलावद से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी या अन्य विशेष न्यायालय का है) एवं मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण। 2. विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे सबंधित कार्यवाही। 3. आरक्षी केन्द्र सिलावद व पाटी क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न होने वाले धारा–138 परकाम्य लिखत अधि. के परिवाद व अन्य निजी परिवाद पत्र। 4. उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से सबंधित प्रकरण। 5. उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा समय–समय पर स्थानांतरित प्रकरण।
05.	**श्री नीरज कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र, अंजड़	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र, अंजड़ से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, विविध आपराधिक प्रकरण व उनसे संबधित कार्यवाही, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी या अन्य विशेष न्यायालय का है) तथा म.प्र. आबकारी अधि.के अंतर्गत उद्भूत वे प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है।

			2. आरक्षी केन्द्र अंजड़ क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद। 3. आरक्षी केन्द्र अंजड़ के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले वन, खान एवं खनिज अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र, ठीकरी व अंजड़ से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 52–क स्वापक औषधि अधिनियम 1985 का निराकरण। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा समय–समय पर स्थानांतरित प्रकरण।
		आबकारी वृत्त अंजड़	म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत वे प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है।
06.	**सुश्री रेणुका बारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ जिला बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र ठीकरी	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र ठीकरी से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, विविध आपराधिक प्रकरण व उनसे संबधित कार्यवाही, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी या अन्य विशेष न्यायालय का है) तथा म.प्र. आबकारी अधि.के अंतर्गत उद्भूत वे प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है। 2. आरक्षी केन्द्र ठीकरी क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद। 3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा समय–समय पर स्थानांतरित प्रकरण।
07.	**श्री हीरालाल सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र राजपुर एवं जुलवानिया	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र राजपुर एवं जुलवानिया से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, विविध आपराधिक प्रकरण व उनसे संबधित कार्यवाही, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी या अन्य विशेष न्यायालय का है), तथा म.प्र. आबकारी अधि.के अंतर्गत उद्भूत वे प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है।

			2. आरक्षी केन्द्र राजपुर एवं जुलवानिया के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत वन, खान एवं खनिज अधिनियम के समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र राजपुर एवं जुलवानिया के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद। 4. आरक्षी केन्द्र राजपुर एवं जुलवानिया के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–144, 145, 146 भा.ना.सु.सं. 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उक्त उपबंधों के तहत स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व के सभी रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के संबंध में कार्यवाहियॉं। 5. आरक्षी केन्द्र राजपुर एवं जुलवानिया के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उक्त उपबंध अनुसार स्वयं के न्यायालय द्वारा एवं रिक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में सभी निष्पादन कार्यवाहियॉं। 6. आरक्षी केन्द्र, राजपुर, नागलवाड़ी व जुलवानिया से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 52–क स्वापक औषधि अधिनियम 1985 का निराकरण। 7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा समय–समय पर स्थानांतरित प्रकरण।
		आबकारी वृत्त राजपुर	म.प्र. आबकारी अधि.के अंतर्गत उद्भूत वे प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है।
08.	**सुश्री राधिका गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र पलसुद एवं नागलवाड़ी	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र पलसुद व नागलवाड़ी से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, विविध आपराधिक प्रकरण व उनसे संबधित कार्यवाही, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी या अन्य विशेष न्यायालय का है) तथा म.प्र. आबकारी अधि.के अंतर्गत उद्भूत वे प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है। 2. आरक्षी केन्द्र पलसुद के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत वन,

			खान एवं खनिज अधिनियम के समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र पलसुद व नागलवाड़ी के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद । 4. आरक्षी केन्द्र पलसुद व नागलवाड़ी के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–144, 145, 146 भा.ना.सु.सं. 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उक्त उपबंधों के तहत स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व के सभी रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के संबंध में कार्यवाहियाँ। 5. आरक्षी केन्द्र पलसुद व नागलवाड़ी के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उक्त उपबंध अनुसार स्वयं के न्यायालय द्वारा एवं रिक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में सभी निष्पादन कार्यवाहियाँ। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा समय–समय पर स्थानांतरित प्रकरण।
3.	**श्री शुमम मोदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर एवं वरला	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर व वरला से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, विविध आपराधिक प्रकरण व उनसे संबधित कार्यवाही, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी या अन्य विशेष न्यायालय का है), म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद।
		आबकारी वृत्त सेंधवा	3. म.प्र. आबकारी अधिनियम के अतंर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण एवं वरला	4. आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण एवं वरला के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत वन, खान एवं खनिज अधिनियम के समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण।

			5. आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण एवं वरला से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 52–क स्वापक औषधि अधिनियम 1985 का निराकरण। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा समय–समय पर स्थानांतरित प्रकरण।
10.	**सुश्री सौम्या चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र सेंधवा ग्रामीण	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र सेंधवा ग्रामीण से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, विविध आपराधिक प्रकरण व उनसे संबधित कार्यवाही, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी या अन्य विशेष न्यायालय का है), म.प्र. आबकारी अधिनियम के अतंर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र सेंधवा ग्रामीण के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद। 3. आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण एवं वरला के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–144, 145, 146 भा.ना.सु.सं. 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उक्त उपबंधों के तहत स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व के सभी रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के संबंध में कार्यवाहियॉं। 4. आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण एवं वरला के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उक्त उपबंध अनुसार स्वयं के न्यायालय द्वारा एवं रिक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में सभी निष्पादन कार्यवाहियॉं। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा समय–समय पर स्थानांतरित प्रकरण।
11.	**सुश्री नीलम खटाना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खेतिया, जिला बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र खेतिया, निवाली एवं पानसेमल	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र खेतिया, निवाली एवं पानसेमल से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, विविध आपराधिक प्रकरण व

			उनसे संबधित कार्यवाही, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी या अन्य विशेष न्यायालय का है), म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र खेतिया, निवाली एवं पानसेमल के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत वन, खान एवं खनिज अधिनियम के समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र खेतिया, निवाली एवं पानसेमल के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होनेवाले धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद। 4. आरक्षी केन्द्र खेतिया, निवाली एवं पानसेमल के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–144, 145, 146 भा.ना.सु.सं. 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उक्त उपबंधों के तहत स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व के सभी रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के संबंध में कार्यवाहियॉं। 5. आरक्षी केन्द्र खेतिया, निवाली एवं पानसेमल के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होनेवाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उक्त उपबंध अनुसार स्वयं के न्यायालय द्वारा एवं रिक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में सभी निष्पादन कार्यवाहियॉं। 6. आरक्षी केन्द्र खेतिया, निवाली एवं पानसेमल से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 52–क स्वापक औषधि अधिनियम 1985 का निराकरण। 7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा समय–समय पर स्थानांतरित प्रकरण।
		आबकारी वृत्त खेतिया	म.प्र. आबकारी अधिनियम के अतंर्गत उद्भुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

<u>टीप एवं आवश्यक निर्देश :–</u>

1. इस कार्य विभाजन आदेश से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।

2. इस कार्य विभाजन–पत्रक के साथ सत्र खण्ड बड़वानी के न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की अनुपलब्धता पर संबंधित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट आपराधिक आवश्यक कार्य को सम्पादित करेंगे तथा संलग्न अनुसूची

क्रमांक–**बी** में वर्णित अनुसार मजिस्ट्रेट धारा 183 भा.ना.सु.सं., 2023 (पूर्व धारा–164 दं.प्र.सं.) अंतर्गत कथन लिपिबद्ध करेंगे।

3. आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य पुलिस रिमाण्ड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य धारा 478 व धारा 480 भा.ना.सु.सं. 2023 (पूर्व धारा–436 एवं 437 द.प्र.सं.) के तहत जमानत आवेदन, धारा 497 व धारा 503 भा.ना.सु.सं. 2023 (पूर्व धारा–451, 457 द.प्र.सं.) के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन, हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं अति आवश्यक साक्षी, जो अत्यधिक दूरी से उपस्थित हुआ हो तथा उसका पुनः सरलता से उपस्थित होना सम्भव न हो, का साक्ष्य अभिलिखित करना आदि है। आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रकिया द्वारा निपटाये जाने वाले ऐसे आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करता है। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट समरी पावर से सशक्त हैं, वह ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।

4. किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश के दौरान उनके न्यायालय के अण्डर–ट्रायल/05 वर्ष अथवा अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित होने वाले अनुसंधानकर्ता अधिकारी/चिकित्सक साक्षी अथवा वृद्ध, बीमार या पुनः उपस्थित हो सकने में असमर्थ या अत्याधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश न मिलने या उसकी पुनः उपस्थिति अत्यंत कष्टकारी, व्ययकारी या असुविधाजनक होने की स्थिति वाले ऐसे साक्षियों की साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित की जावेगी तथा इस कार्य हेतु ऐसे प्रकरण संबंधित प्रभारी मजिस्ट्रेट को विधिवत् अंतरित किये गये समझे जाएंगे।

5. धारा 187 (2) भा.ना.सु.सं., 2023 (पूर्व धारा–167 (2) द.प्र.सं.) के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करने संबंधी आदेश की प्रतिलिपि तत्काल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी की ओर आवश्यक रूप से भेजी जावे।

6. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही विधिवत करेंगे।

7. बड़वानी जिला स्थापना में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी के अवकाश पर रहने के दौरान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायालय, बड़वानी अपने कार्य के साथ–साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के न्यायालय के समस्त आवश्यक न्यायालयीन कार्य भी सम्पादित करेंगे।

8. किसी रिक्त न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकार्ड या आदेश प्राप्त होने पर माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी, जिसकी इस कार्य विभाजन आदेशानुसार क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केंद्र आता है, जिससे वह मामला उद्भूत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है । यदि वह पीठासीन अधिकारी अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ है, तब माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी। इसी प्रकार, धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामलों में भी संबंधित आरक्षी केंद्र/थाना क्षेत्राधिकारिता के आधार पर कार्यवाही संपादित की जायेगी।

9. ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, के द्वारा जारी गैर म्यादी वारंट/गिरफ्तारी वारंट का निराकरण या समर्पण संबंधी आवेदन का निराकरण उसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, जिसके समक्ष उस गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण लंबित है । यदि प्रकरण अभिलेखागार में है, तब ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा, जिसे संबंधित थाने (जिस थाना क्षेत्र का मामला है) का क्षेत्राधिकार इस

आदेश के अनुसार आवंटित है। रिक्त न्यायालय के धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबधित गैर मियादी वारण्ट की तामीली की दशा में संबंधित थाना क्षेत्र के आधार पर अर्थात् जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट को वर्तमान में क्षेत्राधिकारिता आवंटित की गई है, उन्हीं के द्वारा उसमें विधिवत कार्यवाही की जावेगी। यदि स्थायी गिरफतारी वारंट जारी करने वाला न्यायालय अस्तित्व में है, तब उससे संबंधित समस्त कार्यवाही उसी न्यायालय द्वारा की जायेगी।

10. आपराधिक प्रकरणों में जब्तशुदा वाहन की सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियॉ सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर उक्त मामले में अभियोग--पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावें। अन्य संपत्ति के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां भी सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न कर पत्रावली अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जाय ।

11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिन्हें समरी पावर प्राप्त हैं, वह माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी को पूर्व सूचना प्रेषित कर अपने अधिकारक्षेत्र के आरक्षी केंद्र के सीमा क्षेत्र में माह में न्यूनतम एक बार आवश्यक रूप से नियमानुसार चलित न्यायालय लगा सकेंगे। चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणों के लिये इस प्रकार लगाया जावे, जिससे कि न्यायालय का नियमित कार्य का संपादन प्रभावित न हो।

12. लंबित रिमांड पेपर्स से संबंधित अभियोग–पत्र उसी न्यायालयों में पेश किये जायेंगे, जिसके पास उपरोक्त कार्य विभाजन--पत्रक से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकार दिया गया है । जब तक पृथक से कोई आदेश न हो, ऐसे रिमाण्ड पेपर्स संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेंगे।

13. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति प्राप्त होने उपरांत ही मुख्यालय से प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी दूरभाष के माध्यम से देंगे तथा अत्यावश्यक होने पर ई–मेल, फैक्स आदि से आवेदन प्रेषित करेंगे।

14. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण इस कार्य विभाजन पत्रक से प्रभावित नहीं रहेंगे।

15. भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 196 (पूर्व द.प्र.सं. की धारा–176 (1–क)) के अंतर्गत मृत्यु के कारण की जांच संलग्न सूची अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा मृत्यु सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद प्रारंभ की जायेगी।

16. मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी न्यायालय का कोई भी प्रकरण, परिवाद व आवेदन किसी भी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में अंतरित या सुपुर्द किया जा सकेगा।

17 इस कार्य विभाजन–पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद, विविध प्रकरणों व आवेदनों पर नहीं होगा जो संबंधित न्यायालय में पूर्व से लंबित हैं एवं जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम है।

18. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी जिले में स्थित किसी भी आरक्षी केंद्र अथवा अन्य विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग–पत्रों व परिवाद--पत्रों का संज्ञान करने में सक्षम होंगे।

19. समस्त मजिस्ट्रेटगण जेल में निरूद्ध बंदियों की उपस्थिति **वी.सी.** के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे तथा आरोपी के वारण्ट पर निम्न आशय की टीप अंकित करेंगे :–

"आरोपी को आगामी दिनांक..../...../..... को वी.सी. के माध्यम से पेश किया जाए।"

....
हस्ताक्षर
(मजिस्ट्रेट)

20. इस आदेश के संबंध में किसी भी भ्रम या अस्पष्टता की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी को संदर्भित कर उसके संबंध में सुझाव/मार्गदर्शन लिया जाये।

21. यह आपराधिक कार्य विभाजन संबंधी आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत **दिनांक 12 अप्रैल, 2025** से प्रभावशील माना जायेगा।

<u>अनुमोदित</u>

(महेन्द्र कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

(अमन सिंह भूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बड़वानी (म.प्र.)

:: न्यायालय :: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी, जिला बड़वानी मध्य प्रदेश ::

:: संधोधित आपराधिक कार्य प्रभार सूची: 'बी' अप्रैल–2025 ::

बड़वानी न्यायिक जिले में स्थानांतरित होकर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को निम्नानुसार संबंधित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आपराधिक मामलों में धारा 183 भा.ना.सु.सं., 2023 (पूर्व धारा–164 द.प्र.सं.) के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियां लिपिबद्ध कर संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित न्यायालय की ओर प्रेषित करने हेतु संशोधित आपराधिक कार्य प्रभार सूची 'बी' के अनुसार प्रभार सौपा जाता है कि :–

क्रं	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभार न्यायालय का नाम	द्वितीय प्रभार न्यायालय का नाम	तृतीय प्रभार न्यायालय का नाम
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
01.	आरक्षी केन्द्र बडवानी, सिलावद के महिलाओं के विरूद्ध होने वाले समस्त अपराधों को छोडकर।	श्री एम.एस.रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,बड़वानी	सुश्री राजश्री भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बड़वानी	श्री अमन सिंह भूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी
02.	आरक्षी केन्द्र बडवानी, सिलावद व पाटी से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध अंतर्गत धारा–376 भा.द.सं., पॉक्सो एक्ट व सत्र न्यायालय में विचारणीय समस्त महिलाओं से संबंधित अपराधों में।	सुश्री राजश्री भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बड़वानी	सुश्री रेणुका बारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़	सुश्री राधिका गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजपुर
03.	आरक्षी केन्द्र पाटी के महिलाओं के विरूद्ध होने वाले समस्त अपराधों को छोडकर।	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बड़वानी	सुश्री राजश्री भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बड़वानी	श्री अमन सिंह भूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी
04.	आरक्षी केन्द्र ठीकरी से महिलाओं के विरूद्ध होने वाले समस्त अपराधों को छोडकर।	श्री नीरज कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़	श्री हीरालाल सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजपुर	सुश्री राधिका गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजपुर
05.	आरक्षी केन्द्र अंजड़ एवं ठीकरी से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध अंतर्गत धारा–376 भा.द.सं., पॉक्सो एक्ट व सत्र न्यायालय में विचारणीय समस्त महिलाओं से संबंधित एवं आरक्षी केन्द्र अंजड़ के अपराधों में।	सुश्री रेणुका बारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़	सुश्री राधिका गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजपुर	श्री सौम्या चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सेंधवा
06.	आरक्षी केन्द्र पलसुद एवं नागलवाड़ी में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले समस्त अपराधों को छोडकर।	श्री हीरालाल सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजपुर	श्री नीरज कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़	सुश्री रेणुका बारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड
07.	आरक्षी केन्द्र राजपुर, जुलवानिया, पलसुद एवं नागलवाड़ी से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध अंतर्गत	सुश्री राधिका गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजपुर	सुश्री रेणुका बारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड	सुश्री राजश्री भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बड़वानी

	धारा–376 भा.द.सं., पॉक्सो एक्ट व सत्र न्यायालय में विचारणीय समस्त महिलाओं से संबंधित एवं आरक्षी केन्द्र राजपुर व जुलवानिया के अन्य अपराधों में।			
08.	आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण, वरला, खेतिया, निवाली एवं पानसेमल से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध अंतर्गत धारा–376 भा.द.सं., पॉक्सो एक्ट व सत्र न्यायालय में विचारणीय समस्त महिलाओं से संबंधित अपराधों एवं आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, खेतिया, निवाली एवं पानसेमल, वरला के अन्य अपराधों में।	सुश्री सौम्या चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सेंधवा	सुश्री राधिका गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजपुर	सुश्री रेणुका बारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़
09.	आरक्षी केन्द्र सेंधवा ग्रामीण से महिलाओं के विरूद्ध होने वाले समस्त अपराधों को छोडकर।	श्री शुभम मोदी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सेंधवा	सुश्री नीलम खटाना न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, खेतिया	सुश्री राधिका गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजपुर

:– उपरोक्त सूची अनुसार धारा 183 भा.ना.सु.सं., 2023 (पूर्व धारा–164 दं.प्र.सं.) के तहत कथन लेखबद्ध करने हेतु प्रथम व द्वितीय प्रभार मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में आपराधिक कार्य विभाजन प्रभार सूची **"ए"** के अनुसार मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे। धारा 183 भा.ना.सु.सं., 2023 (पूर्व धारा–164 दं.प्र.सं.) के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र का मामला कथन हेतु पेश हो, तो क्रमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।

<u>**अनुमोदित**</u>

12/4/25

{महेन्द्र कुमार जैन}
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी, मध्य प्रदेश

12.4.25

{अमन सिंह भूरिया}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बड़वानी, मध्य प्रदेश

[illegible]ालय :: मुख्य न्यायिक मजि[illegible] बड़वानी, जिला बड़वानी ([illegible]देश)

:: संशोधित आपराधिक का[illegible] प्रभार सूची : 'ए' अप्रैल–2025 ::

क्रं	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार न्यायालय	द्वितीय प्रभार न्यायालय	तृतीय प्रभार न्यायालय	चतुर्थ प्रभार न्यायालय	पंचम प्रभार न्यायालय	षष्ठम् प्रभार न्यायालय	सप्तम प्रभार न्यायालय	अष्टम प्रभार न्यायालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अमन सिंह भूरिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी	श्री एम.एस.रावत न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	सुश्री राजश्री भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री नीरज कुमार सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री रेणुका बारिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	श्री हीरालाल सिसोदिया न्या.मजि.प्र.श्रे. राजपुर	सुश्री राधिका गर्ग, न्या.मजि. प्र.श्रे. राजपुर	श्री शुभम मोदी न्या.मजि.प्र.श्रे. सेन्धवा
2.	श्री एम.एस.रावत न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	सुश्री राजश्री भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	अमन सिंह भूरिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी	श्री नीरज कुमार सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री रेणुका बारिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	श्री हीरालाल सिसोदिया न्या.मजि.प्र.श्रे. राजपुर	सुश्री राधिका गर्ग, न्या.मजि. प्र.श्रे. राजपुर	श्री शुभम मोदी न्या.मजि.प्र.श्रे. सेन्धवा
3.	सुश्री राजश्री भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री एम.एस.रावत न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	अमन सिंह भूरिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी	श्री नीरज कुमार सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री रेणुका बारिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	श्री हीरालाल सिसोदिया न्या.मजि.प्र.श्रे. राजपुर	सुश्री राधिका गर्ग, न्या.मजि. प्र.श्रे. राजपुर	श्री शुभम मोदी न्या.मजि.प्र.श्रे. सेन्धवा
4.	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री एम.एस.रावत न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	सुश्री राजश्री भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	अमन सिंह भूरिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी	श्री नीरज कुमार सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री रेणुका बारिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	श्री हीरालाल सिसोदिया न्या.मजि.प्र.श्रे. राजपुर	सुश्री राधिका गर्ग, न्या.मजि. प्र.श्रे. राजपुर	श्री शुभम मोदी न्या.मजि.प्र.श्रे. सेन्धवा
5.	श्री नीरज कुमार सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री रेणुका बारिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	श्री हीरालाल सिसोदिया न्या.मजि.प्र.श्रे. राजपुर	सुश्री राधिका गर्ग, न्या.मजि. प्र.श्रे. राजपुर	सुश्री राजश्री भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री एम.एस.रावत न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी		
6.	सुश्री रेणुका बारिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	श्री नीरज कुमार सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	श्री हीरालाल सिसोदिया न्या.मजि.प्र.श्रे. राजपुर	सुश्री राधिका गर्ग, न्या.मजि. प्र.श्रे. राजपुर	सुश्री राजश्री भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री एम.एस.रावत न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी		
7.	श्री हीरालाल सिसोदिया न्या.मजि.प्र.श्रे. राजपुर	सुश्री राधिका गर्ग, न्या.मजि. प्र.श्रे. राजपुर	श्री नीरज कुमार सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री रेणुका बारिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री राजश्री भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री एम.एस.रावत न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी		
8.	सुश्री राधिका गर्ग, न्या.मजि. प्र.श्रे. राजपुर	श्री हीरालाल सिसोदिया न्या.मजि.प्र.श्रे. राजपुर	श्री नीरज कुमार सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री रेणुका बारिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री राजश्री भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री एम.एस.रावत न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी		
9.	श्री शुभम मोदी, न्या.मजि.प्र.श्रे. सेन्धवा	सुश्री सौम्या चौधरी, न्या.मजि.प्र.श्रे. सेन्धवा	श्री हीरालाल सिसोदिया न्या.मजि.प्र.श्रे. राजपुर	सुश्री राधिका गर्ग, न्या.मजि. प्र.श्रे. राजपुर	श्री नीरज कुमार सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री रेणुका बारिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री राजश्री भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी		
10	सुश्री सौम्या चौधरी, न्या.मजि.प्र.श्रे. सेन्धवा	श्री शुभम मोदी, न्या.मजि.प्र.श्रे. सेन्धवा	श्री हीरालाल सिसोदिया न्या.मजि.प्र.श्रे. राजपुर	सुश्री राधिका गर्ग, न्या.मजि. प्र.श्रे. राजपुर	श्री नीरज कुमार सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री रेणुका बारिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री राजश्री भार्गव न्या.मजि.प्र.श्रे. बड़वानी		
11	सुश्री नीलम खटाना, न्या.मजि.प्र.श्रे. खेतिया	सुश्री सौम्या चौधरी, न्या.मजि.प्र.श्रे. सेन्धवा	श्री शुभम मोदी, न्या.मजि.प्र.श्रे. सेन्धवा	श्री हीरालाल सिसोदिया न्या.मजि.प्र.श्रे.राजपुर	सुश्री राधिका गर्ग, न्या.मजि. प्र.श्रे. राजपुर	श्री नीरज कुमार सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़	सुश्री रेणुका बारिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. अंजड़		

अनुमोदित

{महेन्द्र कुमार जैन}
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

{अमन सिंह भूरिया}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बड़वानी (म.प्र.)

::न्यायालय :: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी, जिला बड़वानी मध्य प्रदेश::

:: भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 196 (पूर्व धारा–176 द.प्र.सं.) के अंतर्गत कस्टोडियल डेथ केस की मजिस्ट्रीयल जॉच के संबंध में ::

भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 196 (पूर्व धारा–176 द.प्र.सं.) के अंतर्गत जिला स्थापना बड़वानी में कस्टोडियल डेथ केस की मजिस्ट्रीयल जॉच के संबंध में निम्नलिखित तालिका अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट को जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता हैः–

नोट– नीचे लिखे अनुसार कॉलम नम्बर–03 में मजिस्ट्रेट जो भी क्रम से उपलब्ध होंगे, उनके द्वारा भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 196 (पूर्व धारा–176 द.प्र.सं.) के अंतर्गत कॉलम नम्बर–02 में वर्णित तहसीलों पर जॉच की जाएगी।

क्र	तहसील	जॉचकर्ता मजिस्ट्रेट जिनके द्वारा जॉच की जाना है।
01.	बड़वानी	1– श्री एम.एस.रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वानी 2– सुश्री जयश्री भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वानी 3– श्री पुष्पेन्द्र भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वानी
02.	अंजड़	1– श्री नीरज कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ 2– सुश्री रेणुका बारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ 3– श्री हीरालाल सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर 4– सुश्री राधिका गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजपुर
03.	राजपुर	1– श्री हीरालाल सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर 2– सुश्री राधिका गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजपुर 3– श्री नीरज कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ 4– सुश्री रेणुका बारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़
04.	सेंधवा	1– श्री शुभम मोदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सेंधवा 2– सुश्री सौम्या चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेंधवा 3– श्री हीरालाल सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर 4– सुश्री राधिका गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजपुर
05.	खेतिया	1– सुश्री नीलम खटाना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खेतिया 2– श्री शुभम मोदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सेंधवा 3– सुश्री सौम्या चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सेंधवा, 4– श्री हीरालाल सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर

नोट– भविष्य में न्यायिक अधिकारी के स्थानांतरण आदि पर नवपदस्थ न्यायिक अधिकारी यथावत् इस आदेश के अधीन सशक्त मान्य समझे जाएंगे।

अनुमोदित

12/5/25

{महेन्द्र कुमार जैन}
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी, जिला बड़वानी

{अमन सिंह भूरिया}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बड़वानी, जिला बड़वानी